



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 ई०

श्रावण 20, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 265/XXXVI (3)/2023/33(1)/2023

देहरादून, 11 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा० राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023’ प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 05, वर्ष- 2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा अतिथालय
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 05, वर्ष 2023)

(भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेतर संशोधित करने के लिए—

अध्यादेश

चूँकि, राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 है । (2) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
धारा 10 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,— (क) उपधारा 2 में, खण्ड (घ) में, शब्द "माल या" विलोपित किये जाएंगे; (ख) उपधारा (2क) में, खण्ड (ग) में, शब्द "माल या" विलोपित किये जाएंगे।
धारा 16 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,— (क) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:— "परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का, उसके द्वारा, ऐसी शीति में, जो विहित की जाए, धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा :"; (ख) तीसरे परन्तुक में, "उसके द्वारा किये गये" शब्दों के स्थान पर "उसके द्वारा पूर्तिकार को किये गये" शब्द रख दिये जाएंगे।

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 17 का संशोधन	4.	<p>मूल अधिनियम की धारा 17 में, —</p> <p>(क) उपधारा 3 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—</p> <p>“स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य” पद में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय,—</p> <p>(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और</p> <p>(ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संदर्भ में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों, जैसा कि विहित किया जाए, का मूल्य।”;</p> <p>(ख) उपधारा 5 में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>“(घक) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसके कर्तव्यों से संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त किये जाने या प्रयुक्त किये जाने के प्रयोजन के लिए कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवा या दोनों;”।</p>
धारा 23 का संशोधन	5.	<p>मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी और दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित की गयी समझी जाएगी, अर्थात्:—</p> <p>“(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यक्तियों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।”।</p>
धारा 30 का संशोधन	6.	<p>मूल अधिनियम की धारा 30 में,—</p> <p>(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:—</p> <p>“(1) ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, ऐसे अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए, ऐसी शर्तों के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो कि विहित की जाएं, आवेदन कर सकेगा।”;</p> <p>(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा।</p>

प्रमाणित पति


 लोक सूचना अधिकारी
 विधान सभा सचिवालय
 उत्तराखण्ड

धारा 37 का संशोधन	7.	<p>"मूल अधिनियम" की धारा 37 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-</p> <p>"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन बाह्य पूर्ति के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा:</p> <p>परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन बाह्य पूर्ति के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"</p>
धारा 39 का संशोधन	8.	<p>मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-</p> <p>"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए विवरणी, उक्त विवरणी दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा:</p> <p>परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के लिए विवरणी, उक्त विवरणी दाखिल करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"</p>
धारा 44 का संशोधन	9.	<p>मूल अधिनियम की धारा 44 को उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-</p> <p>"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी, उक्त वार्षिक विवरणी दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा :</p> <p>परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी, उक्त वार्षिक विवरणी दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"</p>

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 52 का संशोधन	10. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (14) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- “(15) प्रचालक को उपधारा (4) के अधीन विवरण, उक्त विवरण दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा : परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीनविवरण, उक्त विवरण दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।”
धारा 54 का संशोधन	11. मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- “(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उचित अधिकारी, इस निमित्त, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के शून्य दर पूर्ति होने के आधार पर प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गयी रकम के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुस्थापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा और तत्पश्चात आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरतावेजों के सम्यक सत्यापन के पश्चात् उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय के अंतिम निपटान के लिए आदेश करेगा।”
धारा 56 का संशोधन	12. मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्दों “ यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा” के स्थान पर शब्द “यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज ऐसे प्रतिदाय के संबंध में संदेय होगा,जैसा कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से उक्त कर के प्रतिदाय की तारीख तक 60 दिन से अधिक की विलम्ब की अवधि के लिए,ऐसी रीति

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विद्यमान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विहित की जाए, संगणित किया जा सकता है" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
धारा 62 का संशोधन	13.	मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में, - (क) शब्दों "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जाएंगे; (ख) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :- "परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश के तामील के साठ दिनों के भीतर वैध विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है, वह उक्त विवरणी साठ दिनों की अग्रेत्तर अवधि के भीतर उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिनों के पश्चात् विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये के अतिरिक्तविलम्ब शुल्क के भुगतान पर दाखिल कर सकता है और यदि ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वह वैध विवरणी दाखिल करता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किन्तु धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज के भुगतान या धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क के भुगतान की देयता बनी रहेगी।"
धारा 109 का संशोधन अपील अधिकरण और उसकी पीठों का गठन	14.	मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- "109 इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवायी करने के लिए अपील अधिकरण होगा।"
धारा 110 का विलोपन	15.	"मूल अधिनियम" की धारा 110 विलोपित कर दी जाएगी।
धारा 114 का विलोपन	16.	"मूल अधिनियम" की धारा 114 विलोपित कर दी जाएगी।
धारा 117 का संशोधन	17.	"मूल अधिनियम" की धारा 117 में, - (क) उपधारा (1) में, शब्दों "राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द "अपील अधिकरण की राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे; (ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) और (ख) में, शब्दों "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर शब्द "राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे;
धारा 118 का संशोधन	18.	"मूल अधिनियम" की धारा 118 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्दों "राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "अपील अधिकरण की प्रधान पीठ" रख दिये जाएंगे।
धारा 119 का संशोधन	19.	"मूल अधिनियम" की धारा 119 में, - (क) शब्दों "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "प्रधान पीठ" रख

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड


		दिये जाएंगे; (ख) शब्दों "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे।
धारा 122 का संशोधन	20.	<p>मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-</p> <p>"(1ख) कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो-</p> <p>(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसी पूर्ति करने के लिए, रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर, अपने माध्यम से किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति अनुमन्य करता है ;</p> <p>(ii) अपने माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसी अन्तरप्रान्तीय पूर्ति करने के लिए अर्ह नहीं है, द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अन्तरप्रान्तीय पूर्ति अनुमन्य करता है; या</p> <p>(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन की प्राप्ति से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने माध्यम से की गयी माल की बाह्य पूर्ति का सही ब्यौरा धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन दाखिल विवरण में प्रस्तुत करने में असफल रहता है,</p> <p>दस हजार रूपये, या यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गयी होती, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, अंतर्निहित कर की रकम के बराबर राशि, जो भी अधिक है, के अर्थदण्ड का भुगतान करने का दायी होगा।"</p>
धारा 132 का संशोधन	21.	<p>मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,-</p> <p>(क) खण्ड (छ), (ज) और (ट) विलोपित किये जाते हैं;</p> <p>(ख) खण्ड (ठ) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (क) से खंड (ट)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे;</p> <p>(ग) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:-</p> <p>"(iii) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध के मामले में, जहां कर अपवचन की रकम या गलत रूप से लिये गये या प्रयुक्त किये गये इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत लिए गये प्रतिदाय की रकम एक सौ लाख रूपये से अधिक किन्तु दौ सौ लाख रूपये से अनधिक है, तो ऐसे करावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से; "</p> <p>(घ) खण्ड (iv) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च) या खंड (छ) या</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		खंड (ज)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
धारा 138 का संशोधन	22.	<p>मूल अधिनियम की धारा 138 में,—</p> <p>(क) उपधारा (1) में, पहले परन्तुक में, —</p> <p>(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>"(क) कोई व्यक्ति जो, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में, एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था ;";</p> <p>(ii) खण्ड (ख) विलोपित कर दिया जाएगा;</p> <p>(iii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>"(ग) कोई व्यक्ति जो, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध कारित करने का अभियुक्त है;";</p> <p>(iv) खण्ड (ङ) विलोपित कर दिया जाएगा;</p> <p>(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:—</p> <p>"(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम अंतर्निहित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम और अधिकतम रकम अंतर्निहित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाए।"</p>
नयी धारा 158क का अंतःस्थापन कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सूचना का सहमति आधारित साझाकरण	23.	<p>मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:—</p> <p>"158क. (1) धारा 133, 152 तथा 158 में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल निम्नलिखित विवरण, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, कॉमन पोर्टल द्वारा, ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, के साथ साझा किया जाएगा, अर्थात्:—</p> <p>(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल आवेदन या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल विवरणी में दाखिल ब्यौरे;</p> <p>(ख) बीजक तैयार करने के लिए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किये गए ब्यौरे, धारा 37 के अधीन दाखिल बाह्य पूर्ति का विवरण तथा धारा 68 के अधीन दस्तावेज सृजित करने के लिए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किये गए ब्यौरे;</p>

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिव
उत्तराखण्ड

	<p>(ग) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि विहित किया जाए।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के उद्देश्य के लिए, - (क) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन दाखिल विवरण के सम्बन्ध में, आपूर्तिकर्ता; और (ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दाखिल विवरण के सम्बन्ध में, और उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन दाखिल विवरण के सम्बन्ध में, जहां ऐसे विवरण में प्राप्तिकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित है, प्राप्तिकर्ता, की सहमति, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, प्राप्त की जायेगी।</p> <p>(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन सूचना साझा करने के परिणामस्वरूप किसी देयता के उत्पन्न होने के सन्दर्भ में सरकार या कॉमन पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी और संगत पूर्ति पर या संगत विवरणी के अनुसार कर के भुगतान की देयता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।।</p>
<p>उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय कार्यकलापों और सम्यवहारों को भूतलक्षी प्रभाव से छूट</p>	<p>24. (1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 7 और 8 और उसका स्पष्टीकरण 2 (जैसा कि अधिनियम संख्या 31 वर्ष 2018 धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित) 01 जुलाई, 2017 से अतःस्थापित किया जाए समझा जाएगा।</p> <p>(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
निचले मंत्रालय, उत्तराखण्ड

ले.ज. गुरमीत सिंह,

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,

वीएसएम (से.नि.)

राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

No. 265/XXXVI(3)/2023/33(1)/2023
Dated Dehradun, August 11, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttarakhand Ordinance No.05 of 2023).

As promulgated by the Governor on 09th August, 2023.

**THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2023**

(Uttarakhand Ordinance No. 05 of 2023)

(Promulgated by the Governor in the Seventy-Fourth year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017)-

Whereas the State Legislative Assembly is not in Session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and Commencement.	1.	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023. (2) Save as otherwise provided in this Ordinance, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
Amendment of section 10	2.	In the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 10, - (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted; (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

माणित प्रति
नेक सूचना अधिकारी
वेधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

<p>Amendment of section 16</p>	<p>3.</p>	<p>In section 16 of the Principal Act, in sub-section (2), — (a)For the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— “Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be paid by him along with interest payable under section 50, in such manner as may be prescribed.”; (b)in the third proviso, for the words “made by him”, the words “made by him to the supplier” shall be substituted.</p>
<p>Amendment of section 17</p>	<p>4.</p>	<p>In section 17 of the Principal Act, — (a) in sub-section (3), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:— “For the purposes of this sub-section, the expression “value of exempt supply” shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except, — (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.”; (b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:— “(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013.”</p>
<p>Amendment of section 23</p>	<p>5.</p>	<p>In section 23 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:— “(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.”</p>
<p>Amendment of section 30</p>	<p>6.</p>	<p>In section 30 of the Principal Act, — (a)For sub section (1), the following sub section shall be substituted, namely:—</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
 विधान सभा सचिवालय
 उत्तराखण्ड

		<p>“(1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”;</p> <p>(b) the proviso shall be omitted.</p>
Amendment of section 37	7.	<p>In section 37 of the Principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :—</p> <p>“(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:</p> <p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.”.</p>
Amendment of section 39	8.	<p>In section 39 of the Principal Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely :—</p> <p>“(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:</p> <p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.”.</p>
Amendment of section 44	9.	<p>Section 44 of the Principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—</p> <p>“(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:</p> <p>Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.”.</p>

प्रमाणित पति


 लोक सूचना अधिकारी
 विधान सभा सचिवालय
 उत्तराखण्ड

Amendment of section 52	<p>10. In section 52 of the Principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—</p> <p>"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement: Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."</p>
Amendment of section 54	<p>11. In section 54 of the Principal Act, for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—</p> <p>"(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant."</p>
Amendment of section 56	<p>12. In section 56 of the Principal Act, for the words "If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax:" the words "If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund such tax to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:" shall be substituted.</p>

प्रमाणित प्रति



लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 62	13.	In section 62 of the Principal Act, in sub-section (2), — (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted; (b) the following proviso shall be inserted, namely:— "Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."
Amendment of section 109 Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof	14.	For section 109 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:— "109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act."
Omission of section 110	15.	Section 110 of the Principal Act, shall be omitted.
Omission of section 114	16.	Section 114 of the Principal Act, shall be omitted.
Amendment of section 117	17.	In section 117 of the Principal Act, — (a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal", the words "State Bench of the Appellate Tribunal" shall be substituted; (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Bench" shall be substituted.
Amendment of section 118	18.	In section 118 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "National Bench or Regional Bench of the Appellate Tribunal", the words "Principal Bench of the Appellate Tribunal" shall be substituted.
Amendment of	19.	In section 119 of the Principal Act,— (a) for the words "National or Regional Benches", the words

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड


<p>section 119</p>		<p>"Principal Bench" shall be substituted; (b)for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Bench" shall be substituted.</p>
<p>Amendment of section 122</p>	<p>20.</p>	<p>In section 122 of the Principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:— "(1B) Any electronic commerce operator who— (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply; (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."</p>
<p>Amendment of section 132</p>	<p>21.</p>	<p>In section 132 of the Principal Act, in sub-section (1),— (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted; (b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted; (c)For clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:- "(iii)in the case of an offence specified in clause (b), where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;" ; (d)in clause (iv), for the words, brackets and letters "clause (f) or clause (g) or clause (j)" the words, brackets and letters "clause (f)" shall be substituted.</p>
<p>Amendment of section 138</p>	<p>22.</p>	<p>In section 138 of the Principal Act,— (a) in sub-section (1), in the first proviso,— (i) for clause (a), the following clause shall be substituted,</p>

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

	<p>namely:—</p> <p>"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"</p> <p>(ii) clause (b) shall be omitted;</p> <p>(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—</p> <p>"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"</p> <p>(iv) clause (e) shall be omitted;</p> <p>(b) For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-</p> <p>"(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than twenty-five percent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved."</p>
<p>Insertion of new section 158A</p> <p>Consent based sharing of information furnished by taxable person</p>	<p>23. After section 158 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—</p> <p>"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—</p> <p>(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;</p> <p>(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;</p> <p>(c) such other details as may be prescribed.</p> <p>(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—</p> <p>(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and</p> <p>(b) the recipient, in respect of details furnished under</p>

प्रमाणित प्रति


 लोक सूचना अधिकारी
 विश्वनाथ नगर, उत्तराखण्ड
 उत्तराखण्ड


		<p>clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.</p> <p>(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."</p>
<p>Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule III to the Uttarakhand Goods and Services Tax Act</p>	24.	<p>(1) In Schedule III to the Principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act No. 31 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.</p> <p>(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.</p>

LT. GEN. GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.),
GOVERNOR UTTARAKHAND.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

प्रमाणित प्रति


जोस धरना अधिकारी
विशेष सेवा अधिकारी
उत्तराखण्ड